निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-02/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश कुमार केशरी सहायक लेखपरीक्षा अधिकारियों तथा श्री आलोक चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.07.2020 से 20.07.2020 तक श्री हिमांशु मणि, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.05.2019 से 15.05.2019 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-**
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹में)**
शून्य	

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(`में)

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय का विवरण		बजट/आधिक्य	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2017-18	-	2823.84	-	2136.30	-	687.53
2018-19	36.82	2164.00	36.82	1206.81	-	957.18
2019-20	-	2102.23	-	1328.72	-	773.51

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन नहीं होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव

महानिरीक्षक निबन्धन

अपर महानिरीक्षक निबन्धक

जिला निबन्धक

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन

मुख्य निबन्धन लिपिक

व्यैक्तिक सहायक

उपनिबन्धक

निबन्धन लिपिक

अनुसेवक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में **कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह ---- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह 12/2019 एवं 02/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

(गम्भीर अनियमितताएं)

प्रस्तर-1 सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा अन्य विभाग के निरीक्षण के दौरान पाये गये कमी स्टाम्प के लेखपत्र पर निगरानी न किया जाना।

प्रस्तर-2 जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा बड़े मूल्यों के लेखपत्रों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का मानक से कम स्थल निरीक्षण किया जाना।

प्रस्तर-3 कम्प्यूटरीकृत उप-निबन्धक कार्यालयों के डाटाबेस को सुरक्षित न रखा जाना।

प्रस्तर-4 भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी बाण्डों पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में द्वितीय एवं चतुर्थ त्रैमास के त्रैमासिक विवरण, वार्षिक अंकेक्षित विवरण एवं निगम द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र संलग्न न किया जाना।

प्रस्तर-5 लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्तियों में कमी।

STAN

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन द्‌वारा अन्य विभाग के निरीक्षण के दौरान पाये गये कमी स्टाम्प के लेखपत्र पर निगरानी न किया जाना।

कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, देहरादून द्‌वारा दिनांक 26.08.2019 को नगरपालिका परिषद्, हरबर्टपुर में प्रस्तुत स्टाम्प प्रभार्यता सम्बन्धी पत्रावली का निरीक्षण किया गया । जिसमें दुकानों की लीज अनुबन्ध में स्टाम्प की कमी पायी गयी । विवरण निम्नवत् हैः-

क्रमांक	विलेख का प्रकार	पक्षकार का नाम	प्रभार्य स्टाम्प (`)	अदा स्टाम्प (`)	कमी स्टाम्प (`)
1.	अनुबन्ध पत्र/लीज	श्री ललित कुमार गांधी	60,000	23,000	37,000
2.	अनुबन्ध पत्र/लीज	श्री रोशन सिंह सेढ़ा	43,700	17,000	26,700
3.	अनुबन्ध पत्र/लीज	श्री रघुवर सिंह	45,050	18,100	26,950
				योग	**90,650**

उपरोक्त सभी विलेखों के सम्बन्ध में सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन द्‌वारा निर्देशित किया गया था कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33/38 के अन्तर्गत सभी विलेख मूल रूप में कमी स्टाम्प मय ब्याज/अर्थदण्ड वसूली हेतु वाद दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/कलेक्टर, स्टाम्प न्यायालय में संदर्भित करना सुनिश्चित करें ।

विभाग द्‌वारा यह सुनिश्चित नही किया गया कि जिस विभाग का निरीक्षण किया गया उसके द्‌वारा विलेख को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/कलेक्टर, स्टाम्प न्यायालय में सन्दर्भित किया गया अथवा नहीं एवं कमी स्टाम्प की वसूली हो गयी है अथवा नहीं ?

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग द्‌वारा अनुपालन कर लेखापरीक्षा को अवगत कराने का आश्वासन दिया है ।

अतः सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा अन्य विभाग के निरीक्षण के दौरान पाये गये कमी स्टाम्प के लेखपत्र पर निगरानी न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-2 जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा बड़े मूल्यों के लेखपत्रों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का मानक से कम स्थल निरीक्षण किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 380/XXVII(9)/2012/स्टाम्प-34/2012 वित्त अनुभाग-9 दिनांक 29.06.2012 के अनुसार जिलाधिकारी, तथा अपर जिलाधिकारी तथा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा अपने अपने जनपद में प्रत्येक माह क्रमशः 5, 10 व 25 बड़े मूल्यों के लेखपत्रों द्वारा अन्तरित सम्पत्तियों का स्थल निरीक्षण किया जाना था ।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 में निर्धारित 2340[1] वार्षिक स्थलीय निरीक्षण के सापेक्ष मात्र 982 स्थलीय निरीक्षण किये गये ।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा 1358 (अर्थात 2340-982) कम स्थलीय निरीक्षण किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जिला स्तर में प्रशासनिक व अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण निर्धारित स्थल निरीक्षण नहीं हो पाये । उक्त हेतु समय-समय पर इस कार्यालय से पत्र प्रेषित किये गये हैं ।

अतः जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा बड़े मूल्यों के लेखपत्रों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का मानक से कम स्थल निरीक्षण किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

[1] 15(5+10) x 12 माह x 13 जनपद

भाग-2(ब)

प्रस्तर-3 कम्प्यूटरीकृत उप-निबन्धक कार्यालयों के डाटाबेस को सुरक्षित न रखा जाना।

कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांकः 182/म0नि0नि0/2011-12 दिनांक 30 मई, 2011 एवं पत्रांकः 191/म0नि0नि0/2016-17 दिनांक 21 जून, 2016 के द्वारा समस्त उप निबन्धकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने समक्ष प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के लेखपत्रों से सम्बन्धित डेटा की सुरक्षा के दृष्टिगत डेटा को डे-टू-डे बेसिस पर स्कैन कर उसे तत्काल डी0वी0डी0 (Compact disc) हार्ड डिस्क में अनुरक्षित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा डी0वी0डी0 का एक प्रति प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें ।

कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी उपनिबन्धकों द्वारा अपने कार्यालय से सम्बन्धित पंजीकृत विलेखों के स्कैनिंग डेटाबेस की डी0वी0डी0 (CD) की प्रति मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि सी0डी0 प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है ।

अतः कम्प्यूटरीकृत उप-निबन्धक कार्यालयों से डाटा का बैकअप CD प्राप्त न किये जाने से उपलब्ध डाटाबेस को सुरक्षित नही रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-4 भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी बाण्डों पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में द्वितीय एवं चतुर्थ त्रैमास के त्रैमासिक विवरण, वार्षिक अंकेक्षित विवरण एवं निगम द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र संलग्न न किया जाना।

प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-5 के शासनादेश संख्याः 402/XXVII(5)/स्टाम्प/2005 दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से सम्बन्धित पॉलिसी बॉण्डों पर निर्धारित इन्श्योरेन्स स्टैम्प्स लगाये जाने के स्थान पर वास्तविक संकलित स्टाम्प ड्यूटी के बराबर मूल्य के अग्रिम जमा किये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रक्रिया का निर्धारण किया गया हैः-

(i) निगम के द्वारा अग्रिम के रूप में जमा की गयी संकलित स्टैम्प शुल्क से सम्बन्धित धनराशि के वास्तविक समायोजन के उद्देश्य से पॉलिसियों का प्रमाणित त्रैमासिक विवरण विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसमें प्रत्येक तिमाही पर जारी किये गये पॉलिसी नम्बर, बीमा धन एवं उस पर स्टैम्प शुल्क की कीमत की राशि के विवरण प्रमाण सहित स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तरांचल तथा सम्बन्धित कोषागारों को उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि अग्रिम जमा धनराशि का नियमानुसार समायोजन सुनिश्चित किया जा सके ।

(ii) वित्तीय वर्ष के अन्त में पूरे वित्तीय वर्ष की समस्त पॉलिसियों के अंकेक्षित विवरण (आडिटेड एकाउन्ट) विभाग में उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(iii) भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा यह प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा कि "वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये विवरण के अतिरिक्त कोई पॉलिसी बॉण्ड जारी नहीं किया गया है तथा शासन की संदर्भगत अधिसूचना में निहित प्रावधानों की व्यवस्थानुसार स्टाम्प शुल्क का अग्रिम भुगतान किये जाने विषयक कम्प्यूटर/रबर स्टैम्प का अग्रिम भुगतान की गयी सीमा तक ही उपयोग करते हुये अन्यत्र उपयोग नहीं किया गया है ।"

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पॉलिसी बॉण्डों पर निर्धारित इन्श्योरेन्स स्टाम्प्स लगाये जाने सम्बन्धी द्वितीय त्रैमास (जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2019) एवं चतुर्थ त्रैमास

(जनवरी, फरवरी, मार्च, 2020) के त्रैमासिक विवरण संलग्न नहीं है एवं सम्पूर्ण वर्ष का अंकेक्षित विवरण एवं निगम द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वांछित सूचना भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय से प्राप्त कर प्रेषित कर दी जायेगी ।

अतः भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी बाण्डों पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में द्वितीय एवं चतुर्थ त्रैमास के त्रैमासिक विवरण, वार्षिक अंकेक्षित विवरण एवं निगम द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र संलग्न न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-5 लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्तियों में कमी।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में वित्तीय वर्ष में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय के विश्लेषण में निम्न तथ्य/आंकड़े प्राप्त हुयेः-

(` करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**आवंटित लक्ष्य**	**प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)**	**कमी**	**कमी (प्रतिशत में)**
2017-18	1100	860.16	239.84	21.80%
2018-19	1195.71	1035.35	160.36	13.41%
2019-20	1340.73	1071.49	269.24	20.08%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 के सापेक्ष अत्यधिक कमी रही । वित्तीय वर्ष 2018-19 में लक्ष्य ` 1195.71 करोड़ के सापेक्ष ` 1035.35 करोड़ की प्राप्ति हुई एवं वर्ष 2019-20 में लक्ष्य ` 1340.73 करोड़ के सापेक्ष ` 1071.49 करोड़ की प्राप्ति हुई अर्थात् लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमशः 13.41 प्रतिशत एवं 20.08 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई । वर्ष 2019-20 में कमी का प्रतिशत वर्ष 2018-19 के सापेक्ष काफी अधिक हो गया । इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति में कमी 21.80% थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतू निर्धारित लक्ष्य ` 1100 करोड़ के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि नवम्बर, 2016 में नोटबन्दी होने के बाद सम्पत्ति बाजार में ह्रास होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लक्ष्य ` 1100 करोड़ के सापेक्ष ` 860.16 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में हुई प्राप्तियों से 10.34 प्रतिशत अधिक थी । वर्ष 2018-19 व 2019-20 में लक्ष्य अधिक आवंटन किये जाने के कारण प्राप्तियों में क्रमशः 13.41% एवं 20.08% की कमी रही । वित्तीय वर्षवार शासन द्वारा निर्धारित बजट स्टीमेट के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है ।

विभाग का उत्तर पूर्णतया मान्य नहीं है क्योंकि वितीय वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 के सापेक्ष कमी प्रतिशत अधिक हो गयी एवं लक्ष्य पूर्व वर्ष की प्राप्तियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, परन्तु आगामी वर्षों में कमी प्रतिशत अधिक हो गयी ।

अतः लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्तियों में कमी का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II अ प्रस्तर संख्या	भाग-II ब प्रस्तर संख्या	STAN
RS/SR-08/2017-18	-	01	
RS/SR-09/2018-19	-	01,02	01
RS/SR-05/2019-20	-	01	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती सौजन्या,	महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून

वरिष्ठ **लेखापरीक्षा अधिकारी**
राजस्व क्षेत्र